न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 405 / 2020 निर्णय दिनांक :– 10.10.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

मानसिंह पुत्र श्री हजारीसिंह जाति मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

~~1. भोमा उर्फ भोमसिंह पुत्र सकसम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.) मृतक~~

1/1. नारायणी देवी पत्नी स्व. भोमा उर्फ भोमसिंह जाति मीणा निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक

1/2. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. भोमा उर्फ भोमसिंह मीणा जाति मीणा निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक

1/3. सुमित पुत्र स्व. भोमा उर्फ भोमसिंह मीणा जाति मीणा निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक

1/4. आशा पुत्री स्व. भोमा उर्फ भोमसिंह पत्नी देवीशंकर जाति मीणा निवासी हाल लुहारीकला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

1/5. रानी पुत्री स्व. भोमा उर्फ भोमसिंह पत्नी मानसिंह जाति मीणा निवासी हाल लुहारीकला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

1/6. रेखा पुत्री स्व. भोमा उर्फ भोमसिंह पत्नी मुकेश कुमार जाति मीणा निवासी हाल लुहारीकला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

1/7. प्रियंका पुत्री स्व. भोमा उर्फ भोमसिंह पत्नी धनराज जाति मीणा निवासी हाल राजकोट तहसील देवली जिला टोंक. कानसिंह मीणा

~~2. मन्नुसिंह पुत्र सकसम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.) मृतक~~

2/1.कैलाशी देवी पत्नी स्व. मन्नू सिंह जाति मीणा निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक

2/2. दशरथ पुत्र स्व. मन्नू सिंह जाति मीणा निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक

2/3. सपना पुत्री स्व. मन्नूसिंह पत्नी पूरण सिंह जाति मीणा निवासी हाल दाता ढाणी, सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक

~~3. मोहन पुत्र सकसम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.) मृतक~~

3/1.सोहनी पत्नी स्व. मोहनलाल जाति मीणा निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक

3/2.मैनका पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी शैतान सिंह जाति मीणा निवासी हाल लुहारीकला तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

3/3.दीप्ति पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी विकास जाति मीणा निवासी मीणा कॉलोनी देवली

4. लाली पुत्री सकरामा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. गंगा पुत्री सकरामा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. बदाम पत्नी रामचन्द्र जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. माया पुत्री रामचन्द्र जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
9. हरिसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
10. राजन्ता पुत्री रामचन्द्र जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

11. गलकू पत्नी हरनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
12. गीता पुत्री हरनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
13. गोपाल पुत्र हरनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
14. प्रेम पुत्री हरनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
15. मीरा पुत्री हरनाथ जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
16. तहसीलदार देवली तहसील दूली जिला टोंक (राज.)
17. शाखा प्रबंधक टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा देवली जिला टॉक (राज.)
18. शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक शाखा देवली जिला टोंक (राज.)

उपस्थिति :–
श्री महावीर सिंह राठोड़
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री शिवजीराम डिडवानिया
अप्रार्थीगण संख्या 11 ता 15
श्री आलोक कुमार शर्मा
अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/7
व अप्रार्थीगण संख्या 2/1 ता 2/3
,3/1 ता 3/3 व 4 ता 10

प्रार्थना पत्र अधारा 251 ए राज०टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे– काश्त की आराज गत हाल खाता संख्या 271 खसरा नं. 1273 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1275 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 1529 रकबा 0.42 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.33 है0 वाके तनग्राम सावतगढ़ पटवार हल्का सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि के अड़वा अप्रार्थीगण नं. 1 ता 14 की खातेदारी की भूमि खाता संख्या 250 खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.03है., खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.71 है. खाता संख्या 249 खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.88 हैं., खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.03 वाके तनग्राम सावतगढ़ पटवार हल्का सावतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो समय से ही पेरा नं. 2 में वर्णित अप्रार्थीगण नं. 1 ता 14 व इनके पूर्वजो की भूमि में बने हुए रास्ते से ही अपनी उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे– काश्त की भूमि आता–जाता रहा है तथा काश्तकारी कार्य करता रहा है । प्रार्थी के उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में आने–जाने वाला रास्ता राजस्व नक्शा सीट में तरमीम नहीं होने कारण अप्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि में हंकाई जुताई कर फसल काश्त कर दी तथा तारबंदी कर दी। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी वा भूमि में आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर कई बार विवाद उत्पन्न हो गया है तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता तरमीम नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण फसल काश्त कर देते है। प्रार्थी को उनकी खातेदारी की भूमि में आने–जाने व काश्तकारी कार्य करने हेतु

विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण नं. 1 ता 14 की उक्त भूमि में बने हुए रास्ते में विधिवत् रूप से 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि प्रार्थी को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थी अपनी भूमि में काश्त नहीं कर पायेगें। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थी नं. 16 लेण्ड हॉल्डर होने व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण नं. 16 व 17 के यहां रहन होने के कारण इनको फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है । प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है।अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित पेरा न. 2 में वर्णित भूमि में से लगभग 20 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाये तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/7, 2/1 ता 2/3, 3/1 ता 3/3 व 4 ता 10 की ओर से आलोक कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थीगण संख्या 11 ता 15 की ओर से शिवजीराम डिडवानिया ने वकालतनामा पेश किया।

अप्रार्थीगण संख्या 17 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 18 फोरमल पक्षकार होने से तथा इनसे कोई उज्र नहीं होन से इनके जवाब की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण 11 ता 14 की ओर से निम्न प्रकार पेश हैः– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 आंशिक स्वीकार है। आराजी भूमि खसरा नम्बर 273 राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के नाम नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है। गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसमे से होकर प्रार्थी अपने खेतो में आ जा रहा है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नहीं है।प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6, 7, 8 व 9 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। **विशेष आपत्तियांः**–अप्रार्थीगण के खेतो में से मोके पर कोई रास्ता बना हुआ नही है। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण के खेतो मे से होकर अपनी भूमि पर नहीं गया है। प्रार्थी के खेतो मे आने जाने के लिये प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 1289 से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1281 की दक्षिणी दिशा की ओर से खसरा नम्बर 1277 से होता हुआ प्रार्थी

की भूमि खसरा नम्बर 1276 में जाता है जिस पर होकर प्रार्थी अपने खेतो मे आते जाते है। प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसमे से होकर भी प्रार्थी अपने खेतो में आ जा रहे है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है। प्रार्थी अपने खेतो मे लगातार फसल काश्त कर रहा है जिससे स्पष्ट है कि उसके खेतो में जाने का वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 15 की ओर अधिवक्ता शिवजीराम डिडवानिया ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार पेश हैः— प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 आंशिक स्वीकार है। आराजी भूमि खसरा नं0 273 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 जिस तरह से वर्णित किया गया है गलत है. स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसमें से हाकर प्रार्थी अपने खेतो में आ जा रहा है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 6 7 8 व 9 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। **विशेष आपत्तियाँ** :—अप्रार्थीगण के खेतों में से मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण के खेतों में से होकर अपनी भूमि पर नहीं गया है। प्रार्थी के खेतो में आने जाने के लिये प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जिस पर होकर प्रार्थी अपने खेतो में आते जाते है। प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसमें से होकर भी प्रार्थी अपने खेतो में आ जा रहे है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है। प्रार्थी अपने खेतो में लगातार फसल काश्त कर रहा है जिससे स्पष्ट है कि उसके खेतो में जाने का वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाये।

अधिवक्ता श्री आलोक कुमार शर्मा ने अप्रार्थीगण संख्या संख्या 1/1 से 1/7 एवं 2/1 से 2/3 एवं 3/1 से 3/3 की ओर से जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे भूमि तन ग्राम सांवतगढ़ में होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1529 में शुरू से ही 1273, 1275, 1276 एवं गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 से होकर आता जाता रहा है। गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 सीधा प्रार्थी की भूमि तक जाता है जिसमे से होकर ही प्रार्थी अपने खेतो में आता जाता है और प्रार्थी के खेतो मे जाने का सीधा एवं नजदीकी रास्ता भी यही है। कभी—कभी प्रार्थी अपने खेत मे खसरा नम्बर 1283 एवं 1281 के बीच की मेर पर से होकर आता जाता है। ज्यादातर प्रार्थी अपने खेत मे गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540,

1537 से आता जाता है। प्रार्थी के पूर्वज भी इसी रास्ते से होकर अपने खेतो मे आते जाते रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी के खातेदारी के खेतो तक जाने का राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज है एवं नक्शा सीट मे भी तरमीम हो रखी है जो गे. मु. रास्ता खरारा नम्बर 1540, 1537 है। प्रार्थी ने वर्तमान मे भी अपने खेतो मे फसल काश्त कर रखी है और काश्त करने के लिये प्रार्थी व व रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 से ही आ जा रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नही है। प्राणी के खातेदारी के खेतों तक जाने का राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है एवं नक्शा सीट में भी तरमीम हो रखी है जो गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 है। प्रार्थी ने वर्तमान मे भी अपने खेतो मे फसल काश्त कर रखी है और काश्त करने के लिये प्रार्थी गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 से ही आ जा रहा है। प्रार्थी को रास्ते की क़िसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रार्थी के खेतो मे आने जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में पूर्व में ही रास्ता दर्ज है जिसमे से होकर प्रार्थी अपने खेतो में आता जाता है तथा काश्त कर रहा है। तहसीलदार जी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों से हटकर मौका रिपोर्ट पेश की है जिसमे नजदीकी रास्ता एवं दूर का रास्ता दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1281 एवं खसरा नम्बर 1507 के बीच में से रास्ता नही चाहा है और ना ही अपने प्रार्थना पत्र में उक्त खसरा नम्बर मे से रास्ता दिये जाने का हवाला दिया है। खसरा नम्बर 1507 की मेर पर सफेदे एवं नीम के 16–20 बड़े–बड़े पेड़ भी लगे हुये है। प्रार्थना पत्र अ० धारा 201 ए की मंशा आवश्यकता के अनुसार रास्ता देना है ना कि सुविधा के अनुसार प्रार्थी को रास्ते की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रार्थी के खेतो में आने जाने के लिये पूर्व में ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है जो सीधा प्रार्थी के खेतों में आता जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु के पश्चात सभी वारिसों को पक्षकार नही बनाया है। मन्नू सिंह के एक पुत्री सोनिया ओर थी जिसकी कोरोना काल मे मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके वारिसान मोजूद है जिनको प्रार्थी ने पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी ने जिन खसरा नम्बर के खेतो मे रास्ता चाहा है वह खसरा नम्बर भी बैंक के रहन है ऐसी स्थिति मे भी उक्त खसरा नम्बर मे से रास्ता नहीं दिलवाया जा सकता है।प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6, 7, 8, 9 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता आलोक कुमार शर्मा ने प्रतिपक्षीगण संख्या 4 ता 8 व 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है–प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे भूमि तन ग्राम सांवतगढ़ में होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1273, 1275, 1276 एवं 1529 में शुरू से ही गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 से होकर आता जाता रहा है। गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 सीधा प्रार्थी की भूमि तक जाता है जिसमे से होकर ही प्रार्थी अपने खेतो में आता जाता है और प्रार्थी के खेतो मे

जाने का सीधा एवं नजदीकी रास्ता भी यही है। कभी–कभी प्रार्थी अपने खेत में खसरा नम्बर 1283 एवं 1281 के बीच की मेर पर से होकर आता जाता है। ज्यादातर प्रार्थी अपने खेत मे गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 से आता जाता है। प्रार्थी के पूर्वज भी इसी रास्ते से होकर अपने खेतो में आते जाते रहे है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी के खातेदारी के खेतो तक जाने का राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज है एवं नक्शा सीट मे भी तरमीम हो रखी है जो गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 है। प्रार्थी ने वर्तमान मे भी अपने खेतो मे फसल काश्त कर रखी है और काश्त करने के लिये प्रार्थी गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 से ही आ जा रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी के खातेदारी के खेतों तक जाने का राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज हैं एवं नक्शा सीट में भी तरमीम हो रखी है जो गै० मु० रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 है। प्रार्थी ने वर्तमान मे भी अपने खेतो मे फसल काश्त कर रखी है और काश्त करने के लिये प्रार्थी गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 से ही आ जा रहा है। प्रार्थी को रास्ते की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि प्रार्थी के खेतो मे आने जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में पूर्व मे ही रास्ता दर्ज है। जिसमे से होकर प्रार्थी अपने खेतो में आता जाता है तथा काश्त कर रहा है। तहसीलदार जी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो से हटकर मोका रिपोर्ट पेश की है जिसमे नजदीकी रास्ता एवं दूर का रास्ता दर्शाया गया है जबकि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1281 एवं खसरा नम्बर 1507 के बीच मे से रास्ता नही चाहा है और ना ही अपने प्रार्थना पत्र मे उक्त खसरा नम्बर मे से रास्ता दिये जाने का हवाला दिया है। खसरा नम्बर 1507 की मेर पर सफेदे एवं नीम के 15–20 बड़े–बड़े पेड़ भी लगे हुये है। प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 ए की मंशा आवश्यकता के अनुसार रास्ता देना है, ना कि सुविधा के अनुसार । प्रार्थी को रास्ते की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि प्रार्थी के खेतो मे आने जाने के लिये पूर्व में ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है जो सीधा प्रार्थी के खेतो में आता जाता हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 की मृत्यु के पश्चात सभी वारिसों को भी पक्षकार नही बनाया है। मन्नू सिंह के एक पुत्री सोनिया ओर थी जिसकी कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसके वारिसान मौजूद है जिनको प्रार्थी ने पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी ने जिन खसरा नम्बर के खेतो में रास्ता चाहा है वह खसरा नम्बर भी बैंक के रहन है ऐसी स्थिति मे भी उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता नहीं दिलवाया जा सकता है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 9 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार देवली द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः–अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपनी खातेदारी में कृषि कार्य के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया है उसकी लम्बाई खान 1282 में 4 मी0 व 1283 में 112 मी0 1284 में 96 मी0 1279 में 20 मी0 कुल लं. 232 मी0 व चौ. 6 मी0 होगी जिसका कुल क्षेत्रफल 0.14 है0 होगा, परन्तु यदि प्रार्थी को निकटतम रास्ता दिया जाता है तो ख.न. 1281 मे लं. 86. मी. व 1277 में लं. 84. मी. कुल लं. 170 मी. व चौ. 6 मी. कुल क्षेत्रफल 0.10 है. होगा। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से निकटतम रास्ते की दूरी 62 मी. कम होगी व रास्ता सीधा होगा। चाहे जाने वाली रास्ते की डीएलसी दर 322587 है जिसकी प्रतिकर एक गुना राशि 45163 / व दुगुनी 90326/– रूपये है। आवेदक की भूमि स्वयं की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदक का द्वारा चाहे गये रास्ते के खान 1282 1283, 1284, 1279 को व निकटतम रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई पेड़ व संरचना नहीं है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। 9. प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मय राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी नक्सा ट्रेस की दो प्रति और डीएलसी दर की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमानजी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

तहसीलदार देवली ने दस्तावेज नक्शा ट्रेस प्रमाणित कर दिनांक 06.10.2023 को पेश की जिसको आज बहस में शामिल किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया तहसीलदार रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को अपनी आराजी भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और और प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे नजदीगी रास्ता बताया है वह भी स्वीकार है और ख. नं. 1277 व 1281 के खातेदार प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या संख्या 1/1 से 1/7 एवं 2/1 से 2/3 एवं 3/1 से 3/3 व 4 ता 10 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1273, 1275, 1276 एवं 1529 में शुरू से ही गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 से होकर आता जाता रहा है। गै. मु. रास्ता खसरा नम्बर 1540, 1537 सीधा प्रार्थी की भूमि तक जाता है जिसमे से होकर ही प्रार्थी अपने खेतो में आता जाता है और प्रार्थी के खेतो मे जाने का सीधा एवं नजदीकी रास्ता भी यही है। कभी–कभी प्रार्थी अपने खेत में खसरा नम्बर 1283 एवं 1281 के बीच की मेर पर से होकर आता जाता है। जब प्रार्थी के पास पहले से ही गै. मु. रास्ता है अर्थात प्रार्थी को अपनी आराजी में जाने आने के लिए वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थी केवल अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने की नियत से रास्ता मांग रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11 ता 15 ने भी अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 1289 से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1281 की दक्षिणी दिशा की ओर से खसरा नम्बर 1277 से होता हुआ प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1276 में जाता है जिस पर होकर प्रार्थी अपने खेतो मे आते जाते है। प्रार्थी को रास्ते की कोई आवश्यकता नही है क्योंकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसमे से होकर भी प्रार्थी अपने खेतो में आ जा रहे है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हेरान परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार ने अपनी बहस में कथन किया कि ख. नं. 1540 व 1537 राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज है जो एक तरफ तो प्रार्थी की आराजी पर तो पहुंच रहा है परन्तु दुसरी तरफ इस रास्ते के बाद खातेदारी आराजी भूमि है ओर यह किसी गै. मु. रास्ते से नहीं जुड़ा हुआ है। वर्तमान में ख. नं. 1540 व 1537 एक 3 फीट की नाली के रूप में है। अतः ख. नं. 1540 व 1537 गै. मु. रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजी में नहीं पहुंच सकता है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस व तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 1273, 1275, 1276, 1529 मे कृषि कार्य के लिए जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है । अप्रार्थी संख्या 11 ता 14 ने अपने जवाब में बताया कि ख. नं. 273 प्रार्थी की खातेदारी आराजी भूमि नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने ख. नं. 273 के स्थान पर 1273 शुद्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश किया, जिसको स्वीकार किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत नक्शा शीट दिनांक 06.10.23 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ख. नं. 1540 व 1537 का उल्लेख कर रहे है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि से तो जुड़ा हुआ है परन्तु आगे जाकर रिकॉर्ड अनुसार बन्द व उसके आगे खातेदारी भूमि है और वर्तमान में मौके पर यह ख. नं. 1540 व 1537 नाली के रूप में है। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार देवली द्वारा पेश रिपोर्ट में दो रास्ते प्रस्तावित किये है जिनमें एक निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया है। प्रार्थी द्वारा निकटतम रास्ते की प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र में नहीं की गई है परन्तु अपनी बहस में किसी भी तरह से रास्ता दिलाने की प्रार्थना की है। आरटीए की धारा 251 ए के अन्तर्गत के निकटतम से निकटतम रास्ता देने का प्रावधान है। निकटतम रास्ते वाले जिन खसरा नम्बरो से तहसीलदार द्वारा रास्ता दर्शाया गया है, उन खसरा नम्बरो के खातेदार प्रार्थना पत्र में पक्षकार है।

उक्त विवेचन से जाहिर होता है कि प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के काश्त व आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है

और आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व लाल स्याही से दर्शित नक्शा ट्रेस अनुसार वाके ग्राम सांवतगढ पटवार हल्का सांवतगढ, तहसील देवली के खाता संख्या 271 खसरा नं. 1273 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 1275 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.33 है0, खसरा नम्बर 1529 रकबा 0.42 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.33 है0 में काश्तकारी कार्य हेतु आने जाने के लिए ख. नं. 1281 में चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 86 मीटर अर्थात कुल क्षैत्रफल 516 वर्ग मीटर ख. नं. 1277 में चौडाई 6 मीटर एवं लम्बाई 84 मीटर अर्थात कुल क्षैत्रफल 504 वर्ग मीटर कुल क्षैत्रफल 1020 वर्ग मी0 अर्थात 0.1020 है0 होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 322587/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार कुल क्षैत्रफल 1020 वर्ग मी0 अर्थात 0.1020 है0 के लिए डी.एल.सी दर से एक गुना राशि 32904 रूपये के अनुसार दुगुनी प्रतिकर राशि 65808/– रूपये बनती है लेकिन वर्तमान समय में डी.एल.सी में परिवर्तन की संभावना होने से तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से कुल क्षैत्रफल 1020 वर्ग मी0 अर्थात 0.1020 है0 के लिए पुनः गणना कर, जमा करे । प्रेषित नक्शा ट्रेस व रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक खाते में गै. मु. रास्ता अमल दरामद करे, मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उसके हिस्से अनुसार संदाय करे। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 17 व 18 को अपनी ऋण राशि सम्बन्धित अप्रार्थीगण की शेष बची आराजी से प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। पालना रिपोर्ट मय रिकॉर्ड, निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त होने के बाद 15 कार्यदिवस में न्यायालय में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय आज दिनांक 10.10.2023 को सुनाया गया।

10/10/23

उपखण्ड अधिकारी

देवली